न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बसन्तपुरा पटवार हल्का माटीवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 162, 163, 346, 378/164 कुल किता 4 कुल रकबा 1.0400 हैक्टर तथा ग्राम हेमन्तपुरा पटवार हल्का माटीवाड़ की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 105, 111, 291/112, 71, 72, 73, 74 कुल किता 7 कुल रकबा 4.9500 हैक्टर में वादीगण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 8, 9, 10, 11 का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें, इस बाबत् तहसीलदार उदयपुरवाटी को तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **17.05.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो तथा पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली वास्ते अंतिम डिक्री तलब होकर पेश हो।

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:28:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner